3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3008–पीबीआर/14 विरूद्ध संयुक्त कलेक्टर, जिला इन्दौर के पत्र कमांक 544/क्यू/स्था/भू.अ./2013 दिनांक 28–2–2014 के पालन में अधीक्षक, भू–अभिलेख इन्दौर द्वारा सुयुक्त कलेक्टर को प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 5–5–2014.

अनवर खां पुत्र मोहम्मद खां
निवासी ग्राम पिपल्याहाना
तहसील व जिला इन्दौर ....आवेदक

विरूद्ध

मातृभूमि डेवलपर्स द्वारा सुभाष चंद जैन
पुत्र स्व. श्री चेतनलाल जैन
निवासी 36, उत्कर्ष इस्टेट इन्दौर
जिला इन्दौर ....अनावेदक

श्री आर.एस. गौड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री पंकज जैन, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/6/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत संयुक्त कलेक्टर, जिला इन्दौर के पत्र कमांक 544/क्यू/स्था/भू.अ./2013 दिनांक 28–2–2014 के पालन में अधीक्षक, भू–अभिलेख इन्दौर द्वारा संयुक्त कलेक्टर को प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 5–5–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक मातृभूमि डेवलपर्स द्वारा सुभाष चंद जैन द्वारा कलेक्टर, इन्दौर के समक्ष संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वामित्व की ग्राम पिपल्याहाना, तहसील इन्दौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 499/2/1 रकबा 0.235 हेक्टेयर है, जिसका वह सीमांकन कराना

चाहता है, अतः सीमांकन किया जाये । संयुक्त कलेक्टर, इन्दौर द्वारा दिनांक 28–2–2014 को अधीक्षक भू–अभिलेख के मार्गदर्शन में सीमांकन दल गठित किया जाकर सीमांकन किए जाने के निर्देश दिये गये । संयुक्त कलेक्टर के आदेश के पालन में अधीक्षक, भू–अभिलेख सहित सीमांकन दल द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर दिनांक 5–5–2014 को सीमांकन प्रतिवेदन संयुक्त कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा प्रस्तुत इसी सीमांकन प्रतिवेदन के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन नियमों के तहत सीमांकन किए जाने वाली भूमि से लगी हुई भूमियों के भूमिस्वामियों को सीमांकन की सूचना दिया जाना आवश्यक है, और उनकी उपस्थिति में सीमांकन किया जाना चाहिए । इस आधार पर कहा गया कि आवेदक, अनावेदक की भूमि का सीमावर्ती कृषक है, परन्तु उसे सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी गई है, इसलिए सीमांकन दल द्वारा किया गया सीमांकन निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि सीमांकन दल द्वारा बिना आवेदक को सूचना दिये अवैध रूप से सीमांकन करते हुए आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 499/1/ रकबा 0.053 हेक्टेयर का भी सीमांकन कर दिया गया है, इस कारण आवेदक पड़ौसी कृषक होने के साथ–साथ व्यथित पक्षकार भी है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन दल द्वारा स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन नहीं किया जाकर बन्दोबस्ती के बिन्दु को सीमाचिन्ह मानकर सीमांकन किया गया है, जो कि अवैधानिक होने से निरस्त किए जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा उसके स्वामित्व की भूमि का सीमांकन दिनांक 9–9–2013 को कराया जा चुका है, और उक्त सीमांकन के अनुसार ही वह मौके पर काबिज है । उक्त सीमांकन को अनावेदक द्वारा आज दिनांक तक चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अन्तिम हो गया है, इसलिए नये सीमांकन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये :–

1– उक्त भूमि सर्वे कमांक 499/2/1 का सीमांकन कराये जाने हेतु दिनांक 26–3–2014 को अधीक्षक, भू–अभिलेख तहसील व जिला इन्दौर के समक्ष एक लेखीय

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । उक्त लेखीय आवेदन पत्र के आधार पर राजस्व निरीक्षक, वृत्त 2 तहसील इन्दौर द्वारा सीमांकन की कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व पड़ौसी कृषकों को सूचना पत्र कमांक क्यू/रा.नि.–2/13 इन्दौर दिनांक 4–4–2014 के माध्यम से कमशः (1) के.डी. ट्रेडिंग प्रा.लि. (2) हनीफ खां पिता अताउल्ला खां (3) शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण संस्था (4) रफीक, हफीज, सईद, रसीद पिता रेहमान (5) अनवर पिता मोहम्मद खां को सीमांकन की कार्यवाही में दिनांक 9–4–2014 प्रातः 9–00 बजे सीमांकन कार्य पूर्ण होने तक स्थल पर उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं । अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्य पूर्ण किया जावेगा अभिलखित है, उक्त सूचना में आवेदक अनवर के हस्ताक्षर हैं, अतः सूचना पत्र के आधार पर आवेदक अनवर खां को सीमांकन की जानकारी हो चुकी थी । आवेदक अनवर खां द्वारा उक्त तथ्य को छिपाकर निगरानी प्रस्तुत की गयी ।

2– उक्त भूमि पर सीमांकन की शेष कार्यवाही हेतु आवेदक को पुनः सूचना पत्र जारी किया गया था तथा आवेदक उक्त सीमांकन की कार्यवाही में दिनांक 9–4–2014 को एवं दिनांक 14–4–2014 को उपस्थित था । आवेदक की जानकारी में उक्त सीमांकन की कार्यवाही सम्पादित की गई है, जबकि आवेदक अनवर खां द्वारा मात्र इस आधार पर निगरानी प्रस्तुत की गई है कि उसे सीमांकन की जानकारी दिनांक 30–8–2014 को प्राप्त हुई है । आवेदक द्वारा असत्य तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदक अनवर खां के विरूद्ध कब्जे के सम्बन्ध में संहिता की धारा 250 की कार्यवाही तहसील न्यायालय के समक्ष लम्बित है, कब्जे की कार्यवाही से सम्बन्धित आदेश पत्रिका दिनांक 27–8–2014 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अनवर खां सीमांकन की कार्यवाही के समय मौके पर उपस्थित था, इससे भी यह स्पष्ट होता है कि सीमांकन की कार्यवाही अनवर खां की उपस्थिति में की गई है, किन्तु अनवर खां के द्वारा असत्य तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

4– आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसके पैरा कमांक 2 में यह लेखबद्ध किया गया है कि विवादित प्रतिवेदन सीमांकन आदेश दिनांक 5–5–2014 की जानकारी दिनांक 30–8–2014 को जब हुई, तब अनावेदक के कुछ व्यक्ति मौके पर आये, जबकि तहसील न्यायालय के समक्ष लम्बित संहिता की धारा 250 की कार्यवाही की आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि

आवेदक को उक्त सीमांकन की जानकारी दिनांक 27–8–2014 को प्राप्त हो गयी थी फिर भी आवेदक द्वारा तीन दिन विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है ।

5– तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 29–9–2014 को आवेदक का अनावेदक की भूमि से अनाधिकृत आधिपत्य हटाये जाने के आदेश पारित किया गया था, परन्तु जिसे पुनःश्च कर संहिता की धारा 250 की कार्यवाही को आगे बढ़ा दिया गया है । आवेदक द्वारा संहिता की धारा 250 की कार्यवाही से बचने के लिए निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्ती योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । संयुक्त कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि संयुक्त कलेक्टर द्वारा अधीक्षक, भू–अभिलेख के मार्गदर्शन में प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन हेतु सीमांकन दल गठित किया गया है । संयुक्त कलेक्टर के प्रकरण में संलग्न सूचना पत्र दिनांक 4–4–2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त सूचना पत्र में आवेदक अनवर का नाम बाद में नीचे लिखा जाकर, अनवर लिखकर हस्ताक्षर किये गये हैं । उक्त सूचना पत्र में सीमांकन की तिथि 9–4–2014 मात्र 5 दिन पश्चात की नियत की गई है, और उक्त सूचना पत्र किसके द्वारा किस दिनांक को तामील कराया गया, इसका कोई उल्लेख सूचना पत्र में नहीं है । इसी प्रकार सूचना पत्र दिनांक 12–4–2014 से स्पष्ट होता है कि पूर्व में के.डी. ट्रेडिंग प्रा.लि., हनीफ, शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण संस्था तर्फे अध्यक्ष बाबूलाल, सालिगराम, रफीक, हफीज, सईद, एवं रसीद को सूचना पत्र जारी किये गये हैं, और बाद में नीचे अनवर पिता मोहम्मद खां लिखा जाकर अनवर के हस्ताक्षर दर्शाये गये हैं । उक्त दोनों हस्ताक्षरों में भिन्नता है, और उक्त सूचना पत्र दो दिन बाद सीमांकन किये जाने के समबन्ध में है, जो कि बहुत ही अल्प अवधि है । इस सम्बन्ध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक इस तर्क में बल प्रतीत होता है कि उस पर किसी प्रकार की कोई सूचना पत्र की तामीली नहीं की गई है, और उसकी अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है । अतः सीमांकन के सम्बन्ध में जारी सूचना पत्र एवं उनकी तामीली को विधिवत नहीं ठहराया जा सकता है, और यह मान्य किए जाने योग्य है कि सीमांकन की कार्यवाही में आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, तथा उसके पीठ पीछे सीमांकन किया गया है । अतः उक्त सीमांकन के आधार पर अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा संयुक्त कलेक्टर को

प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 5–5–2014 विधिसंगत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है । अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाया गया यह आधार उचित नहीं है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पत्र कमांक क्यू/रा.नि.–2/13 दिनांक 4–4–2014 द्वारा आवेदक पर सूचना पत्र की तामीली कराई गई है, कारण जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि सूचना पत्र दिनांक 4–4–2014 में अनवर का नाम बाद में नीचे पृथक से लिखा गया है, उसमें अनवर लिखकर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो कि सूचना पत्र दिनांक 12–4–2014 में अनवर द्वारा किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं, इससे यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों सूचना पत्रों में से अनवर के सही हस्ताक्षर कौन से हैं, और हस्ताक्षर अनवर द्वारा किये गये हैं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा । इस प्रकार दिनांक 9–4–2014 एवं 14–4–2014 को किए गए अवैधानिक सीमांकन के आधार पर अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा संयुक्त कलेक्टर को प्रस्तुत प्रतिवेदन विधिसंगत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार अधीक्षक, भू–अभिलेख, इन्दौर द्वारा संयुक्त कलेक्टर, जिला इन्दौर को प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 5–5–14 निरस्त किया जाता है । प्रकरण संयुक्त कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष सहित सीमावर्ती कृषको विधिवत सूचना दी जाकर उनकी उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर